

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
05, हार्डिंग रोड, पटना-800001
(वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in>)

बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

ऑनलाइन आवेदन

की प्रारंभ तिथि-16.07.2026, अंतिम तिथि-16.08.2026

विज्ञापन संख्या-10/2026

बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत है:

पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	पे-लेवल-6 (रु0-35400 से 112400)	16 (सोलह)

उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या-10/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है।

- उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है।
- बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान:-(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-224/2024, सा0प्र0-452, दिनांक-07.01.2026 (ii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वन क्षेत्र पदा0-28/ 2025-6441/प0व0ज0प0, दिनांक-16.12.2025 (iii) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का पत्रांक-2907, दिनांक-01.12.2025 (iv) बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013, अधिसूचना सं0-वन/क्षेत्र पदा0-06/2012 50/प0व0, पटना-15, दिनांक-06.01.14 एवं बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली-2020 (v) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित)

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 एवं पत्र संख्या 2342, दिनांक-15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (vii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-1520, दिनांक-23 फरवरी, 2019, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 एवं पत्र संख्या-12123 दिनांक-23.06.2023 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) (viii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार का पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 (ix) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या-2374 दिनांक-16.07.2007 (सरकारी कर्मियों को आयु सीमा में छुट से संबंधित) (x) बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या-5374 दिनांक-02.04.2013 (भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित) (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-02/2014-सा0प्र0-12722, दिनांक -12 सितम्बर, 2014, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का ज्ञापांक-9556, दिनांक -19.06.2024, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या-483, दिनांक-25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-06/2024-सा0प्र0-5970, दिनांक-02.04.2025 (किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर से संबंधित) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. आवेदन के लिए पात्रता:-

- 4.1 **भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं।**
- 4.2 **अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:-**दिनांक-01.08.2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।
- 4.3 **उम्र सीमा की गणना:-**उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।
- 4.4 **अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक-01.08.2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी:-**
 - (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।

- (2) पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष।
- (4) बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।
- (5) असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (6) उम्मीदवार की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में उल्लिखित जन्म-तिथि के आधार पर की जायेगी।

4.5 **शारीरिक समर्थता परीक्षण के मानदण्ड:-**ऊँचाई और सीना के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(क) ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों के लिए-न्यूनतम 163 सेन्टीमीटर।
- (2) अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए-न्यूनतम 152.5 सेन्टीमीटर।
- (3) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं के लिए-न्यूनतम 150 सेन्टीमीटर।
- (4) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए-न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए)-

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए-

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

- (2) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

- (ग) **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक समर्थता परीक्षण का मापदण्ड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या-483, दिनांक-25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के कंडिका-5 में वर्णित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला

मजिस्ट्रेट नियम-4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रपत्र-3 में पहचान पत्र निर्गत करेगा जिसमें अंकित लिंग के अनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।

5. **नियुक्ति की प्रक्रिया:-**

लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जायेगा।

(क) **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:-**

- (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे।
- (ii) **प्रथम प्रश्न-पत्र**-प्रथम प्रश्न-पत्र 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 02 अंक दिया जायेगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी एवं सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जायेगा।
- (iii) **द्वितीय प्रश्न-पत्र**-द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिया जायेगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जायेगा।
- (iv) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के 06 गुणा अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधानुसार किया जायेगा तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।
- (ख) **साक्षात्कार**-साक्षात्कार में उम्मीदवारों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आँकी जायेगी।

साक्षात्कार का कुल अंक-50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

- (ग) **शारीरिक समर्थता परीक्षण:-** साक्षात्कार (मौखिक परीक्षण) के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2013 के नियम-8 (4) के अनुसार एक शारीरिक समर्थता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण

में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जायेगा। शारीरिक समर्थता परीक्षण का मानदण्ड निम्नवत होगा-

- (i) **सभी कोटि के पुरुषों के लिए-25** (पच्चीस) किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा-4 घंटे।
अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे।
- (ii) **सभी कोटि की महिलाओं के लिए-14** (चौदह) किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा-4 घंटे।
अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी।
- (घ) **चिकित्सीय परीक्षण-** शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जायेगा। सफल एवं चयनित उम्मीदवारों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक होगा। उन्हें ऐसे शारीरिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए जिसके कारण सेवाकाल में उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में किसी तरह की बाधा हो। नियुक्ति के लिए एक आँख वाले व्यक्ति की अनुशंसा नहीं की जायेगी।

6. मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा:-

- (i) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए **अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।** लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म-तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे।
- (ii) उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (iii) लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत होगा।
- (iv) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक

से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा।

7. **रिक्ति:-** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-224/2024, सा0प्र0-452, दिनांक-07.01.2026 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की 16 (सोलह) रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	अनारक्षित (01)	06	02
	अनुसूचित जाति (02)	03	01
	अनुसूचित जनजाति (03)	00	00
	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	03	01
	पिछड़ा वर्ग (05)	02	00
	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	00	00
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (07)	02	00
	कुल	16	
2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या:-		01

8. **आरक्षण:-**

- (i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) **महिलाओं के लिए प्रावधान:-**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-

09.07.2025 के द्वारा 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य किया गया है।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

- (iii) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए प्रावधान:-**
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
- (iv) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय एवं परिसम्पत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र अनुमान्य होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता/महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5622, दिनांक-24.03.2026 के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

- (v) **बिहार राज्य के किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए प्रावधान:-**
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-12722, दिनांक-12 सितम्बर, 2014 के अनुसार किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या-483, दिनांक-25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र संख्या-5970, दिनांक-02.04.2025 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान पत्र के अनुसार लिंग का निर्धारण किया जायेगा।
- (vi) किसी भी प्रकार के आरक्षण(महिलाओं के 35% आरक्षण सहित) का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों

को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनको अयोग्य माना जाएगा।

9. **कट ऑफ तिथि:-**सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि-01.08.2025 निर्धारित की जाती है।
10. **नियुक्ति प्राधिकार:-**
बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना होंगे।
11. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-** उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनायी गयी है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट- <https://bpssc.bihar.gov.in> के Forest Dept. Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन का क्रय करना होगा। आवेदन का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदन के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
12. सभी वर्ग/कोटि की पुरुष/महिला एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 100/- (एक सौ) रुपये है।
13. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/रुपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/रुपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।
14. **ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-**
 - (i) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in> के Forest Dept. Tab पर जाकर Advt.No.-10/2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- (iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है।** यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।
- (iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थी को आवेदन एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।
- (vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन भरा जा सकेगा। आवेदन-भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भी भेजा जायेगा।
- (vii) आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
- (viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर

आवेदन करेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

- (ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म-तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। **प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**
- (x) **आवेदन में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।**
- (xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट- state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।
- (xii) **ऑनलाइन आवेदन:-**
ऑनलाइन आवेदन दो भागों में भरा जायेगा-
- (क) **ऑनलाइन आवेदन के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म-तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/e-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।
- पंजीकरण रद्दीकरण** - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को 'Edit' (सुधार) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।
- (ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i)

आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली अथवा नीली स्याही) से अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

- (ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक “Edit Details” के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/e-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से समर्पित (Submit) किए गये आवेदन के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।
- (घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया:-यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

15. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन की पावती (Acknowledgement) की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।
16. ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि :- ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. **उम्मीदवारी रद्दीकरण-** आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा विहित फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
- (vii) आवेदन में जन्म-तिथि गलत अंकित करना।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
- (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे- विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत एवं वैध प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे-
- (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
- (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
- (ग) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो), होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय के आधार निर्गत प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26 फरवरी 2019 (गजट संख्या-284) के द्वारा विहित प्रपत्र में होना आवश्यक है।
- (घ) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
- (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।

- (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा अन्य पात्रता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
- (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।
- (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।
18. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/e-mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें।
19. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, अन्य पात्रता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा-पारिवारिक, निजी, चिकित्सकीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/-

अध्यक्ष

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-06/2026-945

दिनांक-10.07.2026

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, पटना-800001

प्रतिलिपि:-1. सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

3. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

ह0/-

अध्यक्ष

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।